मॉड्यूल 5: बाल कल्याण समिति

सत्र 2: देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों से संबंधित प्रक्रिया

अवधि: 13:27 मिनट

सत्र 2: देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों से संबंधित प्रक्रिया

सत्र 2 में आप यह विस्तार से जानेंगे कि बाल कल्याण समिति किसी देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चे को प्राप्त करने के बाद क्या प्रक्रिया अपनाती है।

आईए, किशोर न्याय अधिनियम में निर्धारत प्रक्रिया को कुछ केस स्टड़ीज़ जिनमें ज़रूरतमंद बच्चों की विभिन्न परिस्थितियाँ शामिल हैं, के माध्यम से समझने का प्रयास करें।

देखेरख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों हेतु प्रक्रिया

किशोर न्याय अधिनियम द्वारा, देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों को प्रस्तुत करने, रिपोर्ट करने तथा जांच के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से निर्धारित की गई हैं:

- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 31 के अनुसार बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना
- अभिभावक से अलग हुए बच्चे के मिलने पर रिपोर्टिंग की प्रक्रिया
- बच्चे को प्रस्तुत किए जाने पर रिपोर्ट के अनुसार जांच की प्रक्रिया

आईए अब इन प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की जाए।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 31 के अनुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना

1. पहले के सत्रों में हमने देखा कि बाल कल्याण समिति के समक्ष कौन बच्चे को ला सकता है। आईए इसे दुबारा देखें और व्यक्तियों की उस पूरी सूची को देखें जो किसी भी देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है:
    - कोई भी पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई या नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या ज़िला बाल संरक्षण इकाई का कोई अधिकारी या कोई भी श्रम कानून (जो उस वक्त लागू हो) के तहत पदस्थापित निरीक्षक
    - कोई भी लोक सेवक
    - चाईल्ड लाईन सेवाएं या कोई भी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संस्था या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई भी एजेन्सी
    - बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी
    - कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या सार्वजनिक जिम्मेदारी समझने वाला कोई नागरिक

- बच्चा स्वयं।
- कोई भी नर्स, डॉक्टर या किसी नर्सिंग होम, अस्पताल या प्रसूति गृह का प्रबन्धन तंत्र।

जैसी हमने पहले चर्चा की है, अगली महत्वपूर्ण प्रक्रिया बच्चे की रिपोर्टिंग के संबंध में है। आईए अब हम जानें कि अपने अभिभावक से अलग हुए बच्चों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया क्या होगी।

1. अभिभावकों से अलग पाए गए बच्चों की रिपोर्टिंग किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 32 के तहत अनिवार्य है।
   - कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी या कोई नर्सिंग होम या अस्पताल या प्रसूति गृह जो किसी बच्चे को पाता है या उसे कोई बच्चा दिया जाता है और उसे परित्यक्ता या गुमशुदा बताया जाता है, या यदि कोई बच्चा अनाथ दिखता है तथा बिना पारिवारिक सहायता के है और अनाथ बताया जाता है तो 24 घण्टे के अन्दर (यात्रा के समय को छोड़कर) बाल कल्याण समिति को सूचित करेगा।
   - यदि संभव हो तो चाईल्ड लाईन सेवाओं या नज़दीकी पुलिस स्टेशन या ज़िला बाल संरक्षण इकाई को सूचित करेगा।
   - या अधिनियम के तहत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थान को सौंप देगा।

क्या आप जानते हैं कि धारा 32 के तहत दी जाने वाली जानकारी इस धारा के तहत निर्धारित समय में यदि न दी गयी तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में इसे एक अपराध माना जाएगा।

इसके लिए छः माह का कारावास या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं (किशोर न्याय अधिनियम, 2015, धारा 33 और 34 के अनुसार)।

अभ्यर्पित (Surrendered) बच्चा (धारा 35, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

आप जानते हैं कि ऐसे अनेक माता–पिता हैं जो अपने बच्चों का पालन–पोषण नहीं कर पाते हैं। ऐसे माता–पिता अपने बच्चे का, दत्तक ग्रहण के लिए त्याग करते हैं। ऐसे मामलों में क्या प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए? आईए किशोर न्याय अधिनियम की धारा 35 के तहत निर्धारित इस प्रक्रिया को जानें।

- माता–पिता या अभिभावक जो शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों के कारण जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं तथा अपना बच्चा त्यागना चाहते हैं उन्हें बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।
- परामर्श और जांच की निर्धारित प्रक्रिया के बाद यदि समिति संतुष्ट हो जाती है तो माता–पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे को अभ्यर्पण से संबंधित दस्तावेज तैयार करना होगा।

यह जानना ज़रूरी है कि बाल कल्याण समिति को हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चे के सर्वोत्तम हित को देखते हुए उसे त्यागा न जाए।

माता–पिता या अभिभावक को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा। इस दौरान बाल कल्याण समिति उपयुक्त जाँच के बाद बच्चे को या तो माता–पिता या अभिभावक के पास उपयुक्त निरीक्षण में रहने की अनुमति दे सकती है या यदि बच्चा छः वर्ष से कम उम्र का है तो समिति उसे विशेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण में और यदि बच्चा छः वर्ष से अधिक उम्र का है तो उसे बाल गृह में रख सकती है।

आईए अब एक स्थिति की समीक्षा करें जिसमें जैविक माता/जैविक माता–पिता अपने बच्चे को त्यागना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए?

- यदि जैविक माता/जैविक माता–पिता अपने बच्चे का त्याग करना चाहते हैं तो बाल कल्याण समिति के पास सीधे या किसी एजेन्सी के माध्यम से आ सकते हैं।
- बाल कल्याण समिति जैविक माता/जैविक माता–पिता से अवश्य पूछताछ करे और उन कारणों की छानबीन करे जिसकी वजह से माँ /माता–पिता अपने बच्चे को छोड़ना चाहते हैं।
- यदि बच्चे को छोड़ने का कारण कोई ऐसी समस्या है जिसे अन्य गैर संस्थागत तरीकों जैसे पालक देखभाल, प्रायोजन या अल्पकाल संस्थागत देखभाल या सरकार की अन्य योजनाओं से दूर किया जा सकता है तो बाल कल्याण समिति को केवल यह जानकारी देनी ही नहीं चाहिए, बल्कि माता–पिता को परामर्श देने का भी भरपूर प्रयास करना चाहिए जिससे बच्चों को त्यागने की स्थिति उत्पन्न न हो।
- यदि आवश्यक हो तो बाल कल्याण समिति माँ या माता–पिता को किसी पेशेवर एजेंसी के पास परामर्श के लिए भेज सकती है ताकि जिन कारणों या कमियों से वे बच्चे को छोड़ना चाहते हैं उनका सामना करने का सामर्थ्य उनमें विकसित हो सके।
- यह भी हो सकता है कि माता–पिता बच्चे की जिम्मेदारी लेना ही न चाहते हों।
- ऐसी स्थिति में भी परामर्श देना कारगर होगा। बाल कल्याण समिति निर्णय लेने में जल्दबाजी न करे अपितु परामर्श के द्वारा यह प्रयास करे कि बच्चा अपने जैविक माता–पिता के साथ ही रहे।
- अन्तिम निर्णय परामर्शदाता की विस्तृत आंकलन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही लिया जाए।

अब आप जानते हैं कि देखरेख और संरक्षण के जरूरमंद बच्चों के संबंध में कार्य पद्धति की प्रक्रिया क्या है। आईए अब जानें कि जाँच के संबंध में बाल कल्याण समिति की कार्यपद्धति क्या है।

बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद या रिपोर्ट प्राप्त होने पर क्या छानबीन की जानी चाहिए?

छानबीन/जांच एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके आधार पर बाल कल्याण समिति अपने आदेश पारित करती है। आईए इसे विस्तार से समझें–

धारा 36, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार,

- बच्चे को प्रस्तुत किए जाने पर या रिपोर्ट प्राप्त होने पर, समिति स्वयं जांच करे और बच्चे को बाल गृह या उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) या उपयुक्त सुविधा (Fit Facility) में भेजने और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र सामाजिक जाँच के लिए आदेश पारित करे।
- सभी छः वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो अनाथ हैं, परित्यक्त हैं या त्याग दिए गए प्रतीत होते हैं उन्हें उपलब्धता के अनुसार विशेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण में रखा जाए।
- सामाजिक जांच को 15 दिनों के अन्दर पूर्ण किया जाए ताकि बाल कल्याण समिति बच्चे को प्रस्तुत किए जाने के दिन से चार माह के अंदर अपना अन्तिम निर्णय पारित कर सके।

आईए इस बात को समझें कि अनाथ/परित्यक्त बच्चों के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है।

- अनाथ, परित्यक्त या त्यागे गए बच्चों के मामले में समिति अपनी जांच धारा 38 के अनुसार पूरी करके बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करेगी।
- जांच पूरी हो जाने के बाद यदि समिति की यह राय हो कि बच्चे का परिवार या कोई प्रत्यक्ष सहारा नहीं है और उसे देखभाल तथा संरक्षण की निरंतर आवश्यकता है तो समिति उस बच्चे को यदि वह 6 वर्ष से कम उम्र का है तब विशेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण में भेज सकती है अन्यथा बच्चे को बाल गृह या उपयुक्त सुविघा या उपयुक्त व्यक्ति या पालक परिवार में तब तक के लिए भेज सकती है जब तक बच्चे के पुनर्वास के लिए कोई उपयुक्त तरीका न खोज लिया जाए या बच्चा 18 वर्ष का न हो जाए।

आईए अब देखें कि बच्चे को कहीं रख देने के बाद क्या होता है। आप पहले से भी यह जानते हैं कि किशोर न्याय अधिनियम में, उन्हें रख देने के बाद भी फॉलो–अप तथा समीक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

- बाल गृह या उपयुक्त सुविधा या उपयुक्त व्यक्ति या पालक परिवार में रखे गये बच्चे की स्थिति की समीक्षा बाल कल्याण समिति द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी।
- प्रत्येक तिमाही में समिति द्वारा ज़िला मजिस्ट्रेट को मामलों के निर्णयों की स्थिति, कितने मामलों का फैसला हो गया तथा कितने मामले अभी लंबित हैं की प्रस्तावित तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि इनकी समीक्षा हो सके।

लंबित मामलों क संबंध में अपनाई जाने वालो प्रक्रिया

किशोर न्याय अधिनियम में लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने का तरीका निर्धारित किया गया है। आईए इसे जानें।

- समीक्षा के बाद ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा यदि आवश्यक हो तो लंबित मामलों के संदर्भ में समिति को इनके शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया जाएगा।
- यदि आवश्यक हो तो यह समीक्षा रिपोर्ट ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाएगी ताकि यदि जरूरत हो तो राज्य सरकार अतिरिक्त समिति का गठन कर सके।
- लंबित मामलों के निस्तारण के लिए दिशा–निर्देश प्राप्त होने के तीन माह बाद भी यदि समिति लंबित मामलों के निस्तारण में असफल रहती है तो राज्य सरकार उस समिति को भंग करके एक नई समिति गठित कर सकती है।
- नई समिति के गठन में देरी होने की स्थिति में नज़दीकी जिले की बाल कल्याण समिति उस क्षेत्र की जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगी जब तक कि नई समिति गठित न हो जाए।

इस सत्र में हमने बाल कल्याण समिति की पूरी कार्यवाही जो देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों से संबंधित है जैसे समिति के समक्ष प्रस्तुत करना (धारा 31, किशोर न्याय अधिनियम, 2015), माता–पिता से अलग हुए बच्चे की रिपोर्टिंग प्रक्रिया और बच्चे को प्रस्तुत करना, और जांच मामलों के लंबित होने के बारे में जान लिया है। आईए अब मूल्यांकन अभ्यास की ओर चलें और देखें कि हमने कितना सीख लिया है।